



# आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।

Email-md@idabihar.com, Web-www.idabihar.com, phone: 0612-2675933, 2675935, Fax no-2675934

कार्यालय आदेश

संख्या.....दिनांक.....

Construction of Plug & Play Prefabricated Shed at, Hajipur Vaisahali का निर्माण कार्य करने हेतु Baba Debraha Enterprises, 162G, Khesra No 2469, Gandhi Nagar, Ashiyana, Patna, Bihar, 800025, के साथ आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के द्वारा एकरारनामा किया गया था, जिसकी विवरणी निम्नलिखित है—

एकरारनामा संख्या – 19/SBD/2022-23

एकरारनामा राशि – 9,45,84,557.04

एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि – 13.10.2022

एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि— 12.04.2023

संवेदक के द्वारा कार्य को ससमय पूर्ण करने हेतु एकरारनामा के साथ Monthly Work Programme भी समर्पित किया गया था, जो एकरारनामा का अभिन्न अंग है, परन्तु संवेदक के द्वारा दिये गये माहवारी कार्य योजना (Monthly Work Programme) के अनुसार कभी भी कार्य को अपेक्षित प्रगति के साथ प्रारंभ ही नहीं किया गया। कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने तथा कार्य में विलम्ब के लिए इस कार्यालय के विभिन्न पत्रों के माध्यम से Show Cause Notice दिया गया। साथ ही कार्य स्थल पर कनीय अभियंता, सहायक अभियंता तथा कार्यपालक अभियंता के द्वारा भी समय-समय पर कार्य में अपेक्षित प्रगति लाकर कार्य को पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया, परन्तु कार्य में कोई प्रगति नहीं लायी गयी। बीच-बीच में प्राधिकार के वरीय पदाधिकारियों के द्वारा भी कार्य की प्रगति की समीक्षा के दौरान कार्य को पूर्ण करने हेतु कहा गया, परन्तु संवेदक के द्वारा कार्य को पूर्ण करने हेतु केवल मौखिक आश्वासन ही दिया जाता रहा। फिर भी कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लायी गयी। अन्ततः इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या ज्ञापांक 2721/ PDA दिनांक 11.05.2023 के द्वारा एकरारनामा को विखंडित (Rescined) करते हुए, एकरारनामा के साथ SD, PG तथा APG के रूप में जमा कुल राशि 74,99,717.0 रुपये को जब्त (Forfeit) किया गया तथा उनके निबंधन को 11.05.2023 की तिथि से अगले पाँच वर्षों के लिए कालीकृत किया गया।

Agreement Rescined के विरुद्ध संवेदक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC No- 7309/23 तथा 7310/23 दायर किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा दिनांक 01.08.2023 को आदेश सं0 2721/PDA दिनांक 11.05.2023 को Set aside कर दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय पटना के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 4703/PDA दिनांक 26.08.2023 के द्वारा पत्रांक 2721/PDA दिनांक 11.05.2023 को वापस लिया गया तथा इसकी सूचना संवेदक को भी इस कार्यालय का पत्रांक 4703/PDA दिनांक 26.08.2023 के द्वारा दी जा चुकी है।

पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 5052/Tech दिनांक 12.09.2023 के द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी कि कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण SBD के Contract of Clause-3 के आलोक में आपके

P.T.O

एकरारनामा को विखंडित करते हुए एकरारनामा के साथ जमा SD/PG/APG की राशि को क्यों नहीं जब्त कर लिया जाय। पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण दें।

उक्त के आलोक में संवेदक के द्वारा पत्रांक BDE/23-24/59 दिनांक 19.09.2023 के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त निम्न तथ्य प्रकाश में आया।

1. आपके द्वारा Agreement Rescined Order वापस लिये जाने के पश्चात कार्य को पुनः प्रारंभ किये जाने सम्बन्धी निदेश की मांग की गयी है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि Agreement Rescined Order के शिथिलीकरण के पश्चात आपकी स्थिति Agreement के शर्तों के अनुसार स्वतः स्पष्ट है। अलग से किसी निदेश की आवश्यकता नहीं है।
2. पुनः आपके द्वारा निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले कॉलम तथा बिम्स को Lifting कर निर्माण हेतु Pawan PEB Solutions Factory, Barh, Near NTPC, Barh, Patna, Bihar ले जाने हेतु आदेश की मांग की गयी। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले कॉलम्स तथा बिम्स एवं अन्य सामाग्रियों की खरीद, Fabrication, ढुलाई आदि कार्य के लिये अलग से किसी तरह के आदेश की आवश्यकता नहीं है। आपको एकरारनामा में विहित Designs, Drawings and Specifications के अनुसार निर्माण कार्य को किया जाना है।
3. आपके द्वारा Scope of Work का पुनः निर्धारण एवं Clarify करने की मांग की गयी है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि पूर्व में Scope of Work का निर्धारण किया गया है एवं उसी अनुसार कार्य किया जा रहा था।
4. साथ ही आपके द्वारा प्रासांगिक पत्र के माध्यम से एकरारनामा सं० 19/SBD/2022-23 दिनांक 20-10-2022 को विखंडित नहीं किया जाय और एकरारनामा के समय जमा की गयी SD एवं PG की राशि को जब्त नहीं किया जाय की मांग की गयी है।

उक्त के आलोक में कहना है कि अनेको पत्राचार के बावजूद भी आज दिनांक 19.09.2023 तक लगभग 25% ही कार्य किया गया है। जबकि कार्य समाप्ति 12.04.2023 थी जो बीत चुकी है।

कनीय अभियंता, सहायक अभियंता तथा अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 19.09.2023 को कार्य स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कार्य स्थल पर कार्य किये जाने सम्बन्धी किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं पायी गयी है।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि संवेदक को कार्य करने में बिल्कुल ही रुची नहीं है एवम् सरकारी कार्य में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है।

अतएव बाध्य होकर SBD के Clause of Contract-3 के आलोक में एकरारनामा संख्या 19/SBD/2022-23 दिनांक 20.10.2022 को विखंडित करते हुए एकरारनामा के साथ जमा SD/PG/APG की राशि को जब्त किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता(तकनीकीकी)

ज्ञापांक:- 08/80/TECH/IDA/22 दिनांक:-

प्रतिलिपि:- (I) Baba Debraha Enterprises, 162G, Khesra No-2469, Gandhi Nagar, Ashiyana, Patna, Bihar-800025 (II) Baba Debraha Enterprises, 1629, Gandhinagar, Near Rajeevnagar, Patna-800025 (III) Baba Debraha Enterprises, 704 Raut City Apartment, Saguna Khagaul Road, Patna- 801105 को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता(तकनीकीकी)

ज्ञापांक:-

08/80/TECC/IDA/22

दिनांक:-

- प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/बिहार राज्य पथ विकास निगम लि०/बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०/बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०/बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लि०/बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०/बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०/बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०/बिहार राज्य पुलिस निर्माण निगम लि०/बिहार राज्य आवास बोर्ड,बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

रु०

कार्यपालक अभियंता(तकनीकी)

ज्ञापांक:- 5254/TECH/08/80/TECH/IDA/22

दिनांक:- 22/09/23

प्रतिलिपि:- कंप्यूटर प्रोग्रामर एवं सूचना जन- संपर्क पदाधिकारी, आई०डी०ए०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रु०

कार्यपालक अभियंता(तकनीकी)